



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 3534/अका./का.प/2024

रायपुर, दिनांक 12/06/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '88वाँ' बैठक बुधवार दिनांक 12.06.2024 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति -अध्यक्ष

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 1. डॉ. रोहिणी प्रसाद | - सदस्य | 5. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा | - सदस्य |
| 2. डॉ. कल्लोल कुमार घोष | - सदस्य | 6. श्रीमती प्रेमा गुलाब एवका | - सदस्य |
| 3. डॉ. संजय जे. डहरवाल | - सदस्य | 7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | - सदस्य |
| 4. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स | - सदस्य | (ऑनलाईन उपस्थिति) | |
| | | 8. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज | - सदस्य |
| | | (ऑनलाईन उपस्थिति) | |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव -सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.03.2024, 10.05.2024 एवं 27.05.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.03.2024, 10.05.2024 एवं 27.05.2024 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.03.2024 के पूरक विषय-सूची के बिन्दु क्रमांक-09 में विकास विभाग के पत्र क्रमांक 193/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 13.03.2024 के द्वारा मेसर्स छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेस इमाम चौक तकिया पारा, दुर्ग (छ.ग.) को रद्दी कागज विक्रय हेतु पत्र जारी किया गया था। कुलसचिव ने कार्यपरिषद् को अवगत कराया कि आज पर्यन्त उक्त फर्म के द्वारा रद्दी कागज को नहीं ले जाया गया है। कार्यपरिषद् की सर्वसम्मति से फर्म मेसर्स छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेस इमाम चौक तकिया पारा, दुर्ग (छ.ग.) को ब्लैकलिस्ट करने तथा नवीन निविदा जारी करने का अनुमोदन करते हुए शेष पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. श्री मोहम्मद अकील, कक्ष अधिकारी के दिनांक 30.04.2024 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि 16,83,254.00 (सोलह लाख तिरासी हजार दो सौ चौवन रु. मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।

निर्णय: अनुमोदन करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

4. श्री मोहम्मद अकील, कक्ष अधिकारी के अवकाश नगदीकरण का राशि 8,08,256/- (अक्षरी रूपये आठ लाख आठ हजार दो सौ छप्पन मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।

निर्णय: अनुमोदन करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

5. डॉ. संतू राम कश्यप, एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान राशि 11,00,000.00 (ग्यारह लाख रु. मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।

निर्णय: अनुमोदन करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

6. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता, सेवानिवृत्त ग्रंथपाल, पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार के अवकाश नगदीकरण का राशि रु. 24,78,752.00 (रुपए चौबीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई।

7. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.03.2024 से मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें की स्वीकृति विषयक।

निर्णय : विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.03.2024 से मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें के संबंध में निम्नलिखित वित्त निर्देश अंगीकृत किया गया –

1. छ.ग. शासन के वित्त विभाग के वित्त निर्देश 6/2024, क्र. 140/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15.03.2024 के परिपालन में मंहगाई भत्ता को दिनांक 01.03.2024 से सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़ा कर 46 प्रतिशत कर दिया गया है। उक्त वित्त निर्देश को अंगीकृत किया गया।
 2. छ.ग. शासन के वित्त विभाग के वित्त निर्देश 07/2024, क्र. 144/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15.03.2024 के परिपालन में मंहगाई राहत को दिनांक 01.03.2024 से मूल पेंशन/परिवार पेंशन में 221 प्रतिशत से बढ़ा कर 230 प्रतिशत कर दिया गया है। उक्त वित्त निर्देश अंगीकृत किया गया।
8. डॉ. बी.एल. सोनेकर को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के वेतन निर्धारण तथा डॉ. मनमोहन लाल सतनामी को पी.एच-डी. उपाधि वेतनवृद्धि निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स भुगतान किये जाने की स्वीकृति विषयक।

निर्णय: डॉ. बी.एल. सोनेकर को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के वेतन निर्धारण तथा डॉ. मनमोहन लाल सतनामी को पी.एच-डी. उपाधि वेतनवृद्धि निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स भुगतान के संबंध में निम्नलिखित स्वीकृति प्रदान की गई –

1. कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 330/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 24/01/2023 एवं क्रमांक 2823/स्था./सा.प्रशा./2017 दिनांक 27.07.2017 में आंशिक संशोधन तथा संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के द्वारा अंतिम रूप से पारित होने के उपरांत डॉ. बी. एल. सोनेकर का वेतन निर्धारण संशोधित किया गया है। वेतन अंतर की राशि 67,219.00 (सड़सठ हजार दो सौ उन्नीस रूपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 2543/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 05/06/2023 तथा छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 1221/एफ-2-10/2009/38-1 दिनांक 30.03.2010 के प्रावधानानुसार डॉ. मनमोहन लाल सतनामी को उनके नियुक्ति तिथि (17.10.2008) से पी-एच.डी. उपाधि हेतु पाँच अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत होने के उपरांत वेतनमान निर्धारण संशोधित किया गया है। वेतन अंतर की राशि रु. 5,80,130.00 (पाँच लाख अस्सी हजार एक सौ तीस रूपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।
3. उक्त आदेश के परिपालन में देय तिथि से कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति स्वीकृत होने के फलस्वरूप वेतनमान निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर की राशि का एरियर्स भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
4. विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को अंगीकृत कर कुल एरियर्स की राशि आयकर एवं सी.पी.एफ. कटौती सहित कुल राशि रु. 6,47,349/- (अक्षरी रूपये छः लाख सैंतालीस हजार तीन सौ उनचास मात्र) का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. Thermal Desorption Gas Chromatograph Mass Spectrometry (TD-GC-MS/MS) उपकरण के रिपेयरिंग राशि 6,47,739/- (छ: लाख सैंतालीस हजार सात सौ उनचालीस रूपये मात्र) भुगतान हेतु।
निर्णय: DST FIST मद से वर्ष 2016 में क्रय कर रसायन अध्ययनशाला में स्थापित किए गए Thermal Desorption Gas Chromatograph Mass Spectrometry (TD-GC-MS/MS) उपकरण में Non Functional Thermal Desorption Unit में सुधार कार्य हेतु, सक्षम स्वीकृति से उपकरण निर्माता फर्म M/S Thermo Fisher Scientific India Pvt Ltd, Mumbai द्वारा उपकरण के Non-Function Part Item को बदलने Functional Part Item सप्लाई पश्चात् स्कन्ध पंजी में प्रविष्टी उपरांत उपकरण को स्थापित कर संबंधित बिल की राशि रूपये 6,47,739/- (छ: लाख सैंतालीस हजार सात सौ उनचालीस रूपये मात्र) का भुगतान किया जाना था। उपकरण के पूर्ण रूप से Functional Condition में आने के पश्चात् संबंधित बिल की राशि रूपये 6,47,739/- (छ: लाख सैंतालीस हजार सात सौ उनचालीस रूपये मात्र) का भुगतान विश्वविद्यालय के उपकरण रिपेयर मद से किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
10. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 46 महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2024 के संचालन हेतु अग्रिम राशि 17,30,000.00 रूपये (अक्षरी सत्रह लाख तीस हजार रूपये मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति एवं अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई भुगतान की सूचना ग्रहण कराना।
निर्णय: कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क, सर्वर/वेबसर्वर और एंटीवायरस सर्वर AMC कार्य में 01 वर्ष के लिये वृद्धि करने के संबंध में।
निर्णय: फर्म M/s Sai Info Services, House No.-14, Phase-1, Shiva Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) जिसका कार्यकाल दिनांक 13/03/2024 को समाप्त हो चुका है। निविदा के शर्तों एवं अनुबंध के अनुसार कार्य संतोषजनक होने पर संबंधित फर्म के कार्य काल को एक-एक वर्ष करके अधिकतम 04 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, उल्लेखित है। तदक्रम में कार्यपरिषद् द्वारा उक्त फर्म को पूर्व में स्वीकृत दर पर विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क, सर्वर/वेबसर्वर और एंटीवायरस सर्वर AMC कार्य हेतु दिनांक 13/03/2024 से 12/03/2025 तक 01 वर्ष की कार्य वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई।
12. लेखा कार्य कर रहे फर्म के कार्यकाल में वृद्धि के संबंध में।
निर्णय: Expression of Interest from Chartered Accountants Firm for Maintenance of Accounts, Compliance, Taxation and Consultancy Work of Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur हेतु सूचना क्र. 474/Dev/2022 Raipur Dated 11/10/2022 जारी किया गया था। निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म P.R.Sancheti & Company, Chartered Accountants, Shop No.48, 1st Floor, Jeevan Plaza, Ganjpara, Durg (C.G.) को पत्र क्र.667/विकास/2022 रायपुर, दिनांक 23/12/2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2024 तक) 01 वर्ष के लिए कार्य हेतु अनुबंध कर आदेशित किया गया था।
उक्त फर्म का कार्यकाल दिनांक 01/04/2024 को समाप्त हो चुका है। अनुबंध की शर्त में 8) Validity : This Agreement is valid only for 1 year i.e. for Financial Year 2023-24 from the date of execution of this Agreement. However the First Party reserves the right to extend the Agreement with mutual consent for a period acceptable to both. उल्लेखित है।

अतः पूर्व में स्वीकृत दर पर संबंधित फर्म के कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01/04/2024 से 31/03/2025 तक) के लिए अर्थात् 01 वर्ष की वृद्धि करने हेतु कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

13. केन्द्रीय क्रय समिति के पुर्नगठन हेतु सदस्य मनोनीत किए जाने विषयक।
निर्णय: विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित विनियम क्रमांक 108 के भाग-4 के (ब) में केन्द्रीय क्रय समिति के गठन किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार केन्द्रीय क्रय समिति में निम्नानुसार सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत किए गए -
कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत सदस्य - प्रो. एस. जे. डहरवाल, कार्यपरिषद् सदस्य
वरिष्ठ प्राध्यापक-प्रो. आर. के. ब्रह्मे, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

कम्प्यूटर केन्द्र गोपनीय से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. CLOUD Server में वेबसाईट होस्टिंग कार्य का एक वर्ष अनुबन्ध बढ़ाए जाने हेतु।
निर्णय: विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.prsu.ac.in तथा subdomains को मेसर्स Cyfuture India Pvt. Ltd. Plot 197-198 Noida Special Economic Zone (NSEZ), Phase II, Noida - 201305 (U.P.) के द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यादेश क्रमांक 441/विकास/2022 रायपुर, दिनांक 22/09/2022 के अनुसार CLOUD Server में वेबसाईट होस्टिंग कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्यादेश की अवधि 22/09/2023 को समाप्त हो गयी है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा के पृष्ठ क्र. (13) बिन्दु क्र. 12 में अंकित है कि "Contract duration में संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में अनुबन्ध बढ़ाया जा सकता है"। अतः अनुबन्ध अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाने के अनुमोदन के साथ एक वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् नई निविदा जारी किए जाने की भी अनुमति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का वेतन निर्धारण संचालनालय, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, नवा रायपुर से अंतिम रूप से पारित होने के उपरांत वसूली योग्य राशि का किश्तों में भुगतान करने के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का वेतन निर्धारण संचालनालय, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, नवा रायपुर से अंतिम रूप से पारित होने के उपरांत वसूली योग्य राशि का किश्तों में भुगतान करने के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने हेतु गठित तीन सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर चर्चा उपरांत माननीय कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए -
i. सामान्य परिस्थिति में "वसूली योग्य राशि का समायोजन अधिकतम पाँच वर्ष (60 किश्तों) में कर लिया जाए।
ii. वसूली योग्य राशि किसी भी स्थिति में अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व समायोजित की जाए।
iii. उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष जन्य परिस्थिति में माननीय कुलपति जी को समयानुरूप निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
16. दिनांक 24.01.2022 को कक्ष अधिकारी से लेकर निम्न वर्ग लिपिक तक के पदों पर अस्थायी रूप से पदोन्त किए गए कर्मचारियों को उनके कार्यरत पदों पर स्थायी किए जाने के संबंध में।
निर्णय: कक्ष अधिकारी से लेकर निम्न वर्ग लिपिक तक के पदों पर अस्थायी रूप से पदोन्त किए गए कुल 103 पदोन्त कर्मचारियों को उनके पदों पर दिनांक 24.01.2024 से स्थायी किए जाने का अनुमोदन किया गया।

17. संत शदाराम साहिब सिंधी अध्ययन केंद्र के Advisory Board गठित करने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं गठित समिति का सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।
- निर्णय: विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/1589/सा.प्रशा./सि.भा.अ.के./एफ-159/2024 रायपुर, दिनांक 28/05/2024 के तहत संत शदाराम साहिब सिंधी अध्ययन केंद्र के Advisory Board का निम्नानुसार किया गया है :-

1.	प्रो. ए. के. श्रीवास्तव, कुलपति प्रतिनिधि	संयोजक
2.	श्री उदय शदाणी, शदाणी सेवा मण्डल, रायपुर	सदस्य
3.	श्री दर्शन निहाल, शदाणी सेवा मण्डल, रायपुर	सदस्य
4.	श्री ताराचंद मोहनानी, शदाणी सेवा मण्डल, रायपुर	सदस्य
5.	श्री सनत वर्मा, उपकुलसचिव (शैक्षणिक)	सदस्य सचिव

उक्त Advisory Board का कार्यकाल 03 वर्ष के लिए निर्धारित रहेगा।
कार्यपरिषद् ने उक्त Advisory Board को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 11.06.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
- निर्णय: विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक कार्यवृत्त के बिन्दु क्रमांक 04(13) में सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति कॉलेज, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर के निर्णय में निम्नलिखित बिन्दु-“छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के पत्रांक क्रमांक एफ 17-39/2021/38-2 नवा रायपुर, दिनांक 20.09.2021 का नवीनीकरण वर्तमान सत्र हेतु प्राप्त किया जाए” को सम्मिलित करते हुए शेष कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त कीडाधिकारी, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद के प्रकरण क्रमांक 32/2023 के संबंध में।
- निर्णय: डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त क्रीड़ा अधिकारी, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) के द्वारा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) न्यायालय पेशनर्स लोक अदालत रायपुर छ.ग. में प्रकरण क्रमांक 32/2023 दिनांक 01.07.2023 दायर किया गया है।

विश्वविद्यालय की 81वीं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2023 में पूरक विषय सूची क्रमांक 8 में प्रकरण पर लिए गए निर्णयानुसार डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, से.नि. पूर्व संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर(छ.ग.) के “उपस्थिति दिवसों के लंबित वेतन भुगतान” संबंधी प्रकरण पर चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2023 में पूरक विषयसूची क्रमांक-8 में लिए गए निर्णय के क्रम में कार्यपरिषद् द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति से प्राप्त प्रतिवेदन से संबंधित सीलबंद लिफाफा खोलने की अनुमति प्रदान की गई। तदोपरान्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से कार्यपरिषद् सदस्यों को अवगत कराया गया। प्रतिवेदन पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात् कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं का बिन्दुवार विधिक परीक्षण कराते हुए कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत किया जाए।

3. W.P. (S) 3281/2022 निर्णय दिनांक 16.06.2022 तथा अवमानना प्रकरण क्र. 943/2022 श्रीमती विद्या शर्मा विरुद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं अन्य पर पारित निर्णय पर अपील याचिका दायर किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय:- W.P. (S) 3281/2022 निर्णय दिनांक 16.06.2022 तथा अवमानना प्रकरण क्र. 943/2022 श्रीमती विद्या शर्मा विरुद्ध कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं अन्य पर माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय तथा इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त विधिक अभिमत के क्रम में अवमानना प्रकरण, प्रकरण क्र. 943/2022 श्रीमती विद्या शर्मा विरुद्ध कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं अन्य पर डबल बेन्च में अपील दायर किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. श्री हरीश कुमार पाण्डेय, वरि. अधीक्षक का अवकाश नगदीकरण भुगतान किए जाने की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय: श्री हरीश कुमार पाण्डेय, वरि. अधीक्षक को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रु. 6,91,456/- (अक्षरी रूपये छः लाख इक्यानबे हजार चार सौ छप्पन) मात्र का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
5. श्री प्रदीप मिश्र, सेवानिवृत्त कक्ष अधिकारी का अवकाश नगदीकरण भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भुगतान की सूचना ग्रहण कराना।
निर्णय: श्री प्रदीप कुमार मिश्र, सेवानिवृत्त कक्ष अधिकारी को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रु. 8,08,256/- (अक्षरी- रु. आठ लाख आठ हजार दो सौ छप्पन) मात्र का भुगतान किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
6. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.02.2024 के पूरक विषय क्र. 02 में लिए गए निर्णय में टंकन त्रुटि के संशोधन हेतु अनुमति के संबंध में।
निर्णय: कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.02.2024 के पूरक विषय क्र. 02 में लिए गए निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध 84 महाविद्यालयों को वार्षिक परीक्षा संचालन के लिए अग्रिम राशि रु. 15,89,500/- (अक्षरी रु. पंद्रह लाख नवासी हजार पाँच सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई थी। टंकन में एक शून्य कम होने के कारण 1,58,95,000/- (अक्षरी- एक करोड़ अन्ठावन लाख पन्चान्बे हजार) के स्थान पर 15,89,500/- (अक्षरी रु. पंद्रह लाख नवासी हजार पाँच सौ मात्र) अंकित हो गया था। टंकन त्रुटि में सुधार करते हुए कार्यपरिषद दिनांक 18.02.2024 के उक्त निर्णय में अंकित धनराशि को रु. 1,58,95,000/- (अक्षरी- एक करोड़ अन्ठावन लाख पन्चान्बे हजार) पढ़े जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. विश्वविद्यालय में कैंटीन संचालन के संबंध में विचार करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय में कैंटीन संचालन हेतु EoI सूचना क्र. 678/Dev/2023 Raipur, Dated 26/09/2023 समाचार पत्र में छ.ग. संवाद के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। उक्त प्रकाशित निविदा के संबंध में निम्नलिखित फर्मों द्वारा निविदा प्रस्तुत किया गया था :-
 1. Shri Sai Services, Shanti Nagar, Balco Nagar, Korba (C.G.)
 2. Hotel The Golden Oak, M.G. Road, Raipur
 3. Shree Sai Services, Raipur (C.G.)

विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के संदर्भ में विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20/12/2023 के पूरक विषय सूची क्र. 27 में हुए स्वीकृति अनुसार "कैंटीन संचालन के लिए रख-रखाव शुल्क के रूप में अधिकतम धन राशि रु. 25,000=00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) प्रस्तावित किये जाने के आधार पर M/s Hotel The Golden Oak, M.G.Road, Raipur (C.G.) को कैंटीन संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

कैन्टीन संचालन करने के लिए अनुबंध कराने हेतु M/s Hotel The Golden Oak, M.G. Road, Raipur (C.G.) को पत्र क्र. 02/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 03/01/2024 जारी किया गया था। संबंधित फर्म को अनुबंध करने हेतु पुनः स्मरण पत्र क्र. 346/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 24/05/2024 जारी किया गया था। उक्त पत्र में दिनांक 27/05/2024 तक अनुबंध कराने का निर्देश दिया गया था। संबंधित फर्म के प्रतिनिधि आज की तिथि तक अनुबंध करने हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः कार्यपरिषद द्वारा सर्वसहमति से M/s Hotel The Golden Oak, M.G.Road, Raipur (C.G.) के नाम से कैन्टीन संचालन हेतु प्रदान की गई स्वीकृति को निरस्त करते हुए भविष्य में इन्हें कैन्टीन संचालन की अनुमति प्रदान न किये जाने का निर्णय लिया गया।

8. विश्वविद्यालय वेबसाइट www.prsu.ac.in के रि-डिजाइनिंग तथा वार्षिक रखरखाव का कार्य कर रहे फर्म के अनुबंध में 03 माह वृद्धि करने हेतु विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय वेबसाइट www.prsu.ac.in के रि-डिजाइनिंग तथा वार्षिक रखरखाव कार्य कर रही फर्म M/s Entit Consultancy Services, 406 National Corporate Park, G.E. Road, Raipur (C.G.) से किया गया अनुबंध दिनांक 09/06/2024 को समाप्त हो रहा है। अतः वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत उक्त फर्म से किये गये अनुबंध में 03 माह (दिनांक 10/06/2024 से 09/09/2024 तक) के लिए वृद्धि करते हुए नवीन निविदा जारी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. फोरेंसिक साइंस अध्ययनशाला के लिए सामग्री क्रय करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: फोरेंसिक साइंस अध्ययनशाला के लिए 20 नग स्टूडेंट टेबल एवं चेयर, 01 नग स्मार्ट बोर्ड, 05 नग कम्प्यूटर, 06 नग यूपीएस, 05 नग कम्प्यूटर टेबल एवं चेयर एवं 01 नग ऑल इन वन प्रिंटर 03 नग ऑफिस टेबल एवं 10 नग चेयर क्रय किया जाना है।

1. CSIDC Rate Contract के अनुसार कम्प्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर क्रय हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

s/n	Description of Item	Item Code	Qty	Rate	Amount
01	Entry Level (Basic) Desktop Computer Intel Core i5	700005212	05	Rs. 56,300.00	Rs. 2,81,500.00
02	UPS 1 KVA	700005128	06	Rs. 4,993.00	Rs. 29,958.00
03	Multifunction 3 in 1 Duplex Laser Printer (Black)	700003209	01	Rs. 19,500.00	Rs. 19,500.00
Sub Total					Rs. 3,30,958.00
Inspection Charge 0.60%					Rs. 1,985.74
Total with inspection					Rs. 3,32,943.74
GST@18%					Rs. 59,929.87
Total					Rs. 3,92,874.00
Rupees – Three Lakh Ninety Two Thousand Eight Hundred Seventy Four Only.					

2. स्मार्ट बोर्ड क्रय हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

s/n	Description of Item	Item Code	Qty	Rate	Amount
01	Led Interactive Panel 86" Led Backlit display touch panel	700005410	01	Rs.2,35,000.00	Rs. 2,35,000.00
Inspection Charge 0.60%					Rs. 1,410.00
Total with inspection					Rs. 2,36,410.00
GST@18%					Rs. 42,553.80
Total					Rs. 2,78,964.00
Rupees – Two Lakh Seventy Eight Thousand Nine Hundred Sixty Four Only.					

3. फर्नीचर सामग्री कय हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

s/n	Description of Item	Item Code	Qty	Rate	Amount
01	Student Table (Senior Size)	700007407	20	Rs. 1,438.00	Rs. 28,760.00
02	Student Chair (Senior Size)	700007408	20	Rs. 1,319.00	Rs. 26,380.00
03	Office Table (Drawer and Cupboard Unit)	700007404	03	Rs. 5,095.00	Rs. 15,285.00
04	Office Chair	700007454	10	Rs. 2,378.00	Rs. 23,780.00
05	Computer Table (Compact)	700007511	05	Rs. 3,500.00	Rs. 17,500.00
06	Computer Chair (Mid Back)	700007506	05	Rs. 3,576.00	Rs. 17,880.00
Sub Total					Rs. 1,29,585.00
Inspection Charge 0.60%					Rs. 777.51
Total with inspection					Rs. 1,30,362.51
GST@18%					Rs. 23,465.25
Total					Rs. 1,53,828.00
Rupees – One Lakh Fifty Three Thousand Eight Hundred Twenty Eight Only.					

उपरोक्त समस्त सामग्री कय करने पर Rs. 8,25,666.00 (Rupees Eight Lakh Twenty Five Thousand Six Hundred Sixty Six Only) व्यय होगा। उक्त सामग्री CSIDC Rate Contract में अनुबंधित फर्मों से

1. कम्प्यूटर, यूपीएस एवं प्रिंटर सामग्री फर्म Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) से
2. स्मार्ट बोर्ड सामग्री फर्म IT Applications, No. 53, Block 04, Akash Nagar, Avanti Vihar, Raipur (C.G.) से
3. फर्नीचर सामग्री फर्म Ankur Industries, Nahar Para, Station Road, Raipur (C.G.) से

ई-मानक पोर्टल के माध्यम से कय किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त कय संबंधी कार्यवाही के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माननीय कार्य परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक मंगलवार दिनांक 16/04/2024 का कार्यवृत्त क्र0 770/यांत्रिकी/2024 दिनांक 11.06.2024 के अनुमोदन पर विचार करना –
निर्णय: कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. विधि पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण छात्र/छात्रों के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की वास्तविकता/सत्यापन के संबंध में।

निर्णय : भारतीय विधिज्ञ परिषद के पत्र क्र. BCI-LE/138/2020(Circular-003) दिनांक 06.02.2024 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका क्र. 82/2023 अजय शंकर श्रीवास्तव विरुद्ध बार कौंसिल ऑफ इंडिया एवं अन्य दिनांक 06.02.2024 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से विधिक अभिमत लिया गया है, जिसके अनुसार- "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के परिपेक्ष्य, विश्वविद्यालय को बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से प्रेषित किये गये शैक्षिक प्रमाण पत्रों की वास्तविकता/सत्यापन के संबंध में शीघ्र एवं निःशुल्क जानकारी दिये जाने के निर्देश है। जिसका विश्वविद्यालय के स्तर पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर पूर्ण रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।"

उक्त के क्रम में केवल बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सत्यापन हेतु आग्रह किए जाने पर विधि पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण छात्र/छात्रों के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की वास्तविकता/सत्यापन शीघ्र एवं निःशुल्क प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के पारिश्रमिक निर्धारण के संबंध में विचार करना-

निर्णय: विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 7932/अका./2019 रायपुर, दिनांक 24.01.2019 द्वारा परीक्षा कार्य संबंधित विभिन्न प्रकार के पारिश्रमिक का उल्लेख किया गया है किन्तु प्रवेश परीक्षा हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण नहीं किया गया है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश परीक्षा हेतु पारिश्रमिक निर्धारण के संबंध में सुझाव प्रदान करने के लिए गठित समिति द्वारा अनुशंसित दर निम्नानुसार है-

परीक्षा	माध्यम	अनुशंसित दर (प्रति प्रश्न)
विश्वविद्यालयीन प्रवेश परीक्षा	अंग्रेजी एवं हिन्दी (दोनों भाषाओं में)	50/-
	केवल हिन्दी या अंग्रेजी (एक भाषा में)	40/-

कार्यपरिषद द्वारा उक्त अनुशंसित दरों (प्रति प्रश्न) को केवल विश्वविद्यालयीन प्रवेश परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संदर्भ में स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित नवीन अध्यादेश/संशोधित अध्यादेश की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: 1. Revised Ordinance No. 45- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.12.2023 को अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय के बिन्दु क्रमांक 01 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-27/2020/38-2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित Revised Ordinance No. 45 को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचित अध्यादेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए सूचना ग्रहण किया गया।

2. New Ordinance No. 202 .- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.12.2023 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 02 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-6/2024/38-2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित नवीन Ordinance No. 202 "Certificate Course in Econometrics & Mathematical Economics" को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचित अध्यादेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए सूचना ग्रहण किया गया।

3. Revised Ordinance No.-184 "Integrated M.Sc. Program of CBS - विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.02.2024 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय बिन्दु क्रमांक 02 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-11/2024/38-2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित Ordinance No.-184 "Integrated M.Sc. Program of CBS" में संशोधन को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचित अध्यादेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए सूचना ग्रहण किया गया।

4. New Ordinance No. 207/208/209 - विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.02.2024 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 03 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-14/2024/38-2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा

अनुमोदित नवीन Ordinance No. 207 "Integrated Teacher Education Programme (I.T.E.P.) (B.A.B.Ed. Course) तथा पत्र क्रमांक एफ 3-15/2024/38-2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 208 "Integrated Teacher Education Programme (I.T.E.P.) (B.Sc.B.Ed. Course)" एवं पत्र क्रमांक एफ 3-19/2024/38-2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 209 "Integrated Teacher Education Programme (I.T.E.P.) (B.Com.B.Ed. Course) को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचित अध्यादेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए सूचना ग्रहण किया गया।

5. Revised Ordinance No. 85 - विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.01.2024 की पूरक विषय सूची के निर्णय के बिन्दु क्रमांक 01 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित Revised Ordinance No. 85, MASTER OF COMPUTER APPLICATION (TWO YEARS) को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचित अध्यादेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए सूचना ग्रहण किया गया।

6. New Ordinance No. 203/204/205/206 - विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.12.2023 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 03 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-7/2024/38-2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित नवीन Ordinance No. 203 "Certificate Programme in Analytical Technique, Certificate Programme in Soil and Water Analysis, Certificate Programme in Food Adulteration and Toxicology, Certificate Programme in Cement Chemistry तथा पत्र क्रमांक एफ 3-8/2024/38-2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 204 - "Certificate Programme in Immunological Techniques" Certificate Programme in Molecular Techniques" एवं पत्र क्रमांक एफ 3-9/2024/38-2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 205 - "Certificate Programme in Diagnostic Microbiology" "Certificate Programme in Advance Techniques in Microbiology." व पत्र क्रमांक एफ 3-10/2024/38-2 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में नवीन Ordinance No. 206 - "Certificate Programme in Rainwater Harvesting" को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचित अध्यादेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए सूचना ग्रहण किया गया।

14. स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत Toilets निर्माण के Survey कार्य हेतु कुल अनुदान राशि 27,93,890.00 (रुपए सत्ताईस लाख तीरानबे हजार आठ सौ नब्बे मात्र) से अंतिम किश्त की प्राप्त राशि रु. 13,96,945.00 (रुपए तेरह लाख छियानबे हजार नौ सौ पैतालीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

15. वार्षिक परीक्षा 2024 के गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा (2024) के गोपनीय मुद्रण का देयक - (i) नॉन-टेक्नीकल रु. 61,31,631.05 (ii) टेक्नीकल रु. 88,84,112.07 अर्थात् कुल रु. 1,50,15,743.12 Round off Amount रु. 1,50,15,743.00 (एक करोड़ पच्चास लाख पन्द्रह हजार सात सौ तैतालिस रूपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

16. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत उपकरण लेजर मशीन के भुगतान पर विचार करना।

निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145 दिनांक 13.01.2023) के अंतर्गत शोध उपकरण लेजर मशीन के भुगतान M/S Unique Laser Engravers, Mumbai को उनके दिए गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) रू. 21,53,500=00 (रू. इक्कीस लाख तिरपन हजार पाँच सौ मात्र और पैसे शून्य) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

17. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project;SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत उपकरण "MP2.5 High volume air sampler के भुगतान पर विचार करना।

निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145; दिनांक 13.01.2023) के अंतर्गत शोध उपकरण "MP2.5 High volume air sampler का भुगतान M/S MARS Bioanalytical Pvt. Ltd., New Delhi को उनके दिए गए बैंक विवरण अनुसार कुल राशि (GST सहित) रू. 20,44,247=00 (रू. बीस लाख चाब्बालिस हजार दो सौ सैतालिस मात्र और पैसे शून्य) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

18. संत शदाराम साहिब सिंधी अध्ययन केन्द्र हेतु गठित Monitoring Committee की बैठक मंगलवार दिनांक 11.06.2024 की कार्यवृत्त माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: संत शदाराम साहिब सिंधी अध्ययन केन्द्र हेतु गठित Advisory Committee की बैठक मंगलवार दिनांक 07.06.2024 की कार्यवृत्त के बिन्दु क्रमांक-4 के निर्णय-"दिनांक 05 से 07 जुलाई 2024 के मध्य "राष्ट्रीय शिक्षा नीति : चुनौतियां समाधान एवं भारतीय भाषा विशेषकर सिंधी के महत्व का योगदान" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किए जाने हेतु NCPSL नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय में संत शदाराम साहिब सिंधी अध्ययन केन्द्र के संचालन के लिए प्रदान किए गए अनुदान के सापेक्ष प्राप्त ब्याज राशि में से रुपये 4.95 लाख आबंटित किए जाने की अनुशंसा की गई तथा तदसंदर्भ में विश्वविद्यालय तथा NCPSL नई दिल्ली से सक्षम स्वीकृति हेतु अनुरोध किए जाने की अनुशंसा की गई।"

उक्त निर्णय को स्वीकृति प्रदान करते हुए संत शदाराम साहिब सिंधी अध्ययन केन्द्र हेतु गठित Monitoring Committee की बैठक मंगलवार दिनांक 11.06.2024 की कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

19. W.P. (S) 5143/2012 डॉ. पुरुषोत्तम लाल चंद्राकर विरुद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष निम्नांकित निर्णय लिए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत :-

(i) माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश दिनांक 20.02.2024 का अक्षरशः पालन करते हुये नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

(ii) माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध रिट अपील युगल पीठ के समक्ष किये जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: प्रकरण क्र. W.P. (S) 5143/2012 डॉ. पुरुषोत्तम लाल चंद्राकर विरुद्ध पं.र.शु.वि.वि. रायपुर दिनांक पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2024 जो इस प्रकार है कि "The respondent authorities are directed to treat the appointment of the petitioner on the post of Associate Professor (Geography) in the University from the date when other candidates were appointed for the said post pursuant to the previous advertisement dated 12-08-2011 (Annexure P/1) and grant him all the consequential benefits accordingly, except the monetary benefit". (Annexure 1)

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20.02.24 के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रिविजन याचिका क्र. REV No. 87 of 2024 दायर की गई थी, जिसे माननीय

उच्च न्यायालय की एकल पीठ नें आदेश दिनांक 06.05.24 के द्वारा खारिज कर दिया है।
(Annexure 2)

इस संबंध में विश्वविद्यालय के उच्च न्यायालय पैनल अधिवक्ता श्री नीरज चौबे को विधिक अभिमत हेतु पत्र दिनांक 29.05.2024 एवं 06.06.2024 प्रेषित किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में श्री नीरज चौबे द्वारा दिया गया विधिक अभिमत दिनांक 07.06.2024 संलग्न है। (Annexure 3)

वर्तमान में सह-प्राध्यापक का पद विश्वविद्यालय में रिक्त है तथा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 17.02.2017 के द्वारा इनकी सह-प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा श्री पुरुषोत्तम लाल चंद्राकर को किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ नहीं प्रदान किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विषयगत प्रकरण की तथ्यात्मक संक्षेपिका के साथ तत्संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत करें।

20. आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में निविदा दर अनुबंधित करने हेतु क्रमशः सिविल मरम्मत, सेनेटरी मरम्मत, विद्युत मरम्मत, जलप्रदाय मरम्मत कार्य के लिए 25-25 लाख की निविदा मंगाए जाने के लिए माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. श्री प्रदीप कुमार चंद्रिकापुरे, कनिष्ठ अधीक्षक, गोपनीय विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) द्वारा भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान फलस्वरूप प्राप्त आवेदन दिनांक 21.05.2024 द्वारा पुत्र के विवाह हेतु राशि 13,00,000.00 (तेरह लाख रुपये मात्र) माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने प्रस्तुत।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

2. श्री राजेश शर्मा, प्रथम श्रेणी लिपिक, वित्त विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) का दिनांक 30.05.2024 सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि 10,79,914.00 (दस लाख उन्चासी हजार नौ सौ चौदह रुपये मात्र) कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने प्रस्तुत।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

3. श्री प्रदीप कुमार मिश्र, कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (छ.ग.) का दिनांक 30.05.2024 सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि 13,98,134.00 (तेरह लाख अठानवे हजार एक सौ चौतीस रुपये मात्र) कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने प्रस्तुत।


निर्णय :- स्वीकृति प्रदान की गई।


4. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक दिनांक 11.06.2024 के बिंदु क्रमांक 14 में विश्वविद्यालय के Master of Pharmacy पाठ्यक्रम का संशोधित अध्यादेश क्रमांक-159 पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के Master of Pharmacy पाठ्यक्रम का संशोधित अध्यादेश क्रमांक-159 के संशोधन का अनुमोदन किया गया।

5. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक दिनांक 11.06.2024 के बिंदु क्रमांक 15 में विश्वविद्यालय के Four Years (8th Semesters) Under Graduate Program (FYUP) पाठ्यक्रम का संशोधित अध्यादेश क्रमांक-197 पर विचार करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय के Four Years (8th Semesters) Under Graduate Program (FYUP) पाठ्यक्रम का संशोधित अध्यादेश क्रमांक-197 के संशोधन का अनुमोदन किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 3535/अका./का.प/2024
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 12/06/2024

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)